

इसे वेबसाईट www.govtprintmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्रा

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 250]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 अगस्त 2020—श्रावण 16, शक 1942

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2020

क्र. एफ 1(बी)-03-2020-चौदह-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश अधीनस्थ कृषि (अलिपिक-वर्गीय) कार्यपालिक सेवा भरती नियम, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची-तीन में, शीर्षक “(दो) कृषि अभियांत्रिकी” में अनुक्रमांक 7 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(दो) कृषि अभियांत्रिकी

किसान कल्याण तथा तथा कृषि विकास विभाग	7	स्वच्छक (हैल्पर/हैमरमेन/स्वच्छक/मेट)	18 वर्ष	40 वर्ष	10वीं स्तर उत्तीर्ण	—
---	---	---	---------	---------	---------------------	---

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2020

क्र. एफ 1(बी)-03-2020-चौदह-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना
क्र. एफ 1(बी)-03-2020-चौदह-1, दिनांक 16 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया
जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजीत केसरी, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 16th July 2020

No. F-1(B)-03-2020-XIV-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Sub-ordinate Agricultural (Non-Ministerial) Executive Services Recruitment Rules, 1972, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules, in Schedule-III, in the heading “(ii) Agricultural Engineering” for Serial Number 7 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

(ii) Agricultural Engineering

Farmer's Welfare and Agriculture Development Department	7.	Cleaner (Helper/Hammer man/Cleaner/mate).	18 years	40 years	10th standard Passed	—
--	----	--	----------	----------	----------------------	---

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJIT KESARI, Principal Secy.